पत्र संख्या : 7ब/2700 गै०यो० ज०सं०– 01/2013..........05

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक : 09.4.2013

विषय :– वित्तीय वर्ष 2013–14 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2700–वृहद सिंचाई उप मुख्य शीर्ष–01– वृहद सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–01–तेनुघाट बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–2014 में बजट मुख्य शीर्ष **2700– वृहद सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	**मांग संख्या/मुख्य शीर्ष**	**उप मुख्य शीर्ष**	**लघु शीर्ष/उप शीर्ष**	**आवंटित राशि (लाख ₹ में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700–वृहद सिंचाई	01 वृहद सिंचाई–वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 01–तेनुघाट बाँध परियोजना	**204.700**

कुल आवंटित राशि – रुपये दो करोड़ चार लाख सत्तर हजार मात्र

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2013–2014 के बजट उपबंध **₹ 332.38 लाख (तीन करोड़ बत्तीस लाख अड़तीस हजार मात्र)** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ओंकार नाथ) सहा० अभि०	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि०)	(एस० के० सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि०)	(बी० सी० निगम) विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दिया जाय।

10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2014** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 05 राँची, दिनांक :– 09.4.2013

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी**, राँची/डोरंडा/हजारीबाग/बोकारो/गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 05 राँची, दिनांक :– 09.4.2013

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), राँची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी॰ सी॰ निगम)	**(एस० के० शतपथी)**
सहा॰ अभि॰	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	प्रधान सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट I

मुख्य शीर्ष–2700–वृहद सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–01–वृहद सिंचाई वाणिज्यिक

पत्रांक 05 दिनांक 09.4.13 का अनुलग्नक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–01–तेनुघाट बॉध परियोजना

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2013–2014		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें		विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रमार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49N270001001010101	49N270001001010112	49N270001001010213	49N270001001010315	49N270001001010316	49N270001001010333	49N270001001010334	49N270001001010337	49N270001001010442	49N270001001010760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	तेनुघाट बॉध अंचल, तेनुघाट	कुल आवंटन	46.000	0.100	0.200	0.400	0.000	0.100	0.000	0.000	0.600	0.000	47.400	
2	तेनुघाट बॉध प्रमंडल, तेनुघाट	कुल आवंटन	156.000	0.100	0.200	0.300	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.100	157.300	
	कुल आवंटन का योग		202.000	0.200	0.400	0.700	0.000	0.200	0.000	0.000	1.100	0.100	204.700	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–69/बजट दि० 11.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.10.2012 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल आवंटित राशि– रुपये दो करोड़ चार लाख सत्तर हजार मात्र

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव